

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर  
 पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा-2025 शिविर-2 लखाना

प्रकरण संख्या- 52/2025

दिनांक- 25/06/2025

श्री कंचनपुर गजानाथ  
 पुत्र निजनेराज

उपनाम

वनाम

सरकार जरीय तहसीलदार  
 चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर



आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ सैलमन बस्तावेज, पटवारी हल्का लखाना भू अ. नि. पाँवडेरा एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम गजेशांज पं 80 लखाना की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 90 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

| क्र. सं. | अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि) | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)                             | शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है। |
|----------|--|--|---|
| 1.       | बीकडे नाम में अशुद्ध   | स्टेट बैंक हाँड<br>बीकानेर रोड<br>जयपुर 211291<br>चौथ का बरवाड़ा | स्टेट बैंक हाँड<br>इडिया 211291<br>चौथ का बरवाड़ा       |

उपखण्ड अधिकारी  
 चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

प्रतिनिधी -

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालन प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी श्री कंचनपुर गजानाथ पुत्र निजनेराज
3. रक्षित पत्रायली।

उपखण्ड अधिकारी  
 चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)